राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 116/2017.....जिला.....जयपुर.

उनवान– मैसर्स जांगिड एण्ड सन्स, जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट चतुर्थ, वृत–एल, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.04.2017	**एकलपीठ** **श्री खेमराज, अध्यक्ष** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अशोक हंसारिया एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 429/अपील्स–प्रथम/आरवेट/जयपुर/2015–16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 10.10.2016 के विरुद्ध अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–चतुर्थ,वृत–एल, जयपुर (जिसे आगे सशक्त अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 19.08.2015 के द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 30.06.2015 में सृजित मांग राशि रू. 14,930/–को यथावत रखा है, जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने सशक्त अधिकारी द्वारा सृजित मांग को यथावत रखते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2016 पारित किया। अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखी गई मांग राशि रू. 14,930/–की वसूली को स्थगित रखने का निवेदन किया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक ने यह तर्क दिया कि व्यवहारी द्वारा मैसर्स नमो प्लाईवुड एण्ड ग्लास एजेंसी से निजी उपयोग के लिये माल की खरीद की गयी थी। किन्तु विक्रेता द्वारा उक्त माल का विक्रय अपीलार्थी की व्यक्तिगत नाम की बजाय अपीलार्थी फर्म के नाम दर्शित कर दिया गया। निजी कार्य हेतु खरीद किये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा इस खरीद को लेखा पुस्तकों में दर्शित नहीं किया गया ओर न ही आईटीसी क्लेम किया गया। इस कारण निर्धारण अधिकारी ने इस खरीद को व्यवसाय की खरीद मानकर कर, ब्याज का आरोपण किया है, जिसमें संशोधित करने के लिये अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संशोधन प्रार्थना प्रस्तुत करने पर उसे अस्वीकार किया है,। जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने आदेश दिनांक 10.10.2016 द्वारा पारि करते हुए कायम मांग राशि रुपये 14930/– को यथावत रखा है, जो अनुचित है। अतः उन्होनें आरोपित मांग राशि रू. 14,930/–को अपील के निस्तारण तक स्थगित किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का पुरजोर समर्थन करते हुए कथन कि प्रकरण के तथ्यों के अनुसार सुविधा सन्तुलन राजस्व के पक्ष में ठहरता है। अतः उन्होंने प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का अनुरोध किया ।	

18.04.2017

स्थगन के बिन्दु पर उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी द्वारा खरीद बिक्री को बिक्री विवरण पत्रों में प्रदर्शित नहीं किया गया है तथा राजविस्टा सिस्टम में से मैसर्स नमो प्लाइवुड एण्ड ग्लास एजेन्सीज नम्बर से की गयी खरीद mismatch पायी गयी। उक्त तथ्यों के होने से प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन एवं प्रकरण अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है ।

प्रकरण से सम्बन्धित सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के रिकार्ड को अविलम्ब मंगवाया जाये। अपील वास्ते बहस दिनांक 15.06.2017 को एस.बी.कैम्प जयपुर में पेश हो।

निर्णय सुनाया गया ।

(खेमराज)
अध्यक्ष